

- : : आदेश : : -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। गत सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 2426 के स्थान पर नया खसरा नम्बर 2723 बना है। परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों कि भूल से नक्शा में खसरा अंकन के समय 2723 के स्थान पर 2725 दर्ज हो गया, जो कि गलत हुआ। अतः तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते हैं कि मौजा जायल के वर्तमान खसरा नम्बर 2723 के राजस्व नक्शा ट्रेस में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.08.2024 के बिन्दु संख्या 4 में दर्शित नजरी नक्शानुसार (खसरा नम्बर 2723 के राजस्व नक्शा ट्रेस) शुद्ध किया जावे। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2024/2614 दिनांक 14.08.2024 निर्णय का भाग रहेगा। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

तहसीलदार जायल को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 30/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)